Directorate of Estates except for 16 numbers, 8 of which were beyond economic repairs and are to be demolished and the balance is being used as office and stores. Further, 452 quarters in Delhi were slated for demolition and redevelopment of area. Out of these, 340 are lying vacant, 55 are under encroachment and the remaining 57 quarters are temporarily being used as Stores/Offices and residences by the CPWD staff permitted by the Field Units on their own on payment of licence fee.

(0 For irregular action by the Field Units of the CPWD, Chief Engineers have been directed by Director General (Works), C.P.W.D. to take immediate action to get the quarter vacated and to fix responsibility for these lapses.

नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए उठाए गए कदम

127. **श्री इकबाल सिंह:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार ने भारत के संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर देश के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा नि:शुल्क उपलब्ध कराने तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लड़के-लड़कियों को रियायती दर पर उच्च शिक्षा दिलवाने के संबंध के किसी राष्ट्रीय-नीति का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री भुही राम सैकिया): (क) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में यथाशोधित राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों के अनुसरण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में यह संकल्प किया गया है कि 21वीं शताब्दी में प्रवेश करने के पूर्व ही 14 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी बच्चों को नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करा दी जाये।

नीति निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष रूप से कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) सभी राज्यों में सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को शिक्षण शुल्क की अदायगी से छूट दी गई है। कई राज्यों ने समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के बच्चों और लड़कियों की नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें, स्कूल की वर्दी और अन्य प्रोत्साहन देने के लिए प्रावधान किए हैं।

केन्द्रीय सरकार ने संपूर्ण देश में प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिये मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1995-96 में प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम शुरू किया है।

कोल इंडिया लिमिटेड के अन्तर्गत कंपनियों के कोयले के स्टॉक की ओवर रिपोर्टिंग किया जाना

128. **श्री दिलीप सिंह जुदेव:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत कंपनियों में वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान कोयले के स्टॉक की ओवर रिपोर्टिंग करने के आरोप सिद्ध हो गये है;

(ख) प्रत्येक कंपनी के वास्तविक स्टॉक और सूचित स्टॉक के मध्य कितना अंतर पाया गया है और इस अंतर का मूल्य कितना आंका गया है;

(ग) ओवर-रिपोर्टिंग करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध 30 नवम्बर, 1995 तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) कोल इंडिया लिमिटेड (कोइलि॰) के अंतर्गत 3 कंपनियों में ही कोयले के स्टॉक में कमी पाई गई थी अर्थात् ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि॰, भारत कोकिंग कोल लि॰ और सेंट्रल कोलफील्ड्स लि॰, जिसका 1994-95 के अंत में कोयले के स्टॉक का वार्षिक रूप में मापन किये जाने के बाद पता चला था। 1995-96 के अंत में कोयले के स्टॉक के मापन के संबंध में निरीक्षण जांच का कार्य प्रगति पर है।

(ख) 1994-95 के अंत में मापित स्टॉक तथा कोयले के पुस्तिका स्टॉक के बीच अंतराल मापन अशुद्धि की 5 प्रतिशत से अधिक स्वीकार्य सीमा से बढ़ गया था जो कि नीचे दर्शायी गई है:-

कंपनी	कमी मि॰ टन में	मूल्य करोड़ रु॰ में
ई. को. लि.	0.22	12.6
भा. को. को. लि.	2.92	132.45
सें. को. लि.	6.51	269.98